उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून

दूरभाषः– 0135–2521387, 2521553,

Web: www.ureda.uk.gov.in/E-mail: spv.uredahq@gmail.com,

solarcell.ureda@gmail.com

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

उत्तराखण्ड राज्य सौर नीति–2023, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 13 अप्रैल, 2023 को अधिसूचित की गई है, जो कि उरेडा की वेबसाइट – www.ureda.uk.gov.in पर अपलोड की गई है। इस नीति के अन्तर्गत, इच्छुक विकासकर्ताओं (Developers) जो कि नीति में प्राविधानित श्रेणी के अनुसार सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित करने हेतु तथा इच्छुक भू–स्वामियों (Land owner), जो कि अपनी भूमि में सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित करना चाहते हों, से जानकारी एकत्रित किये जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त इच्छुक विकासकर्ताओं एवं भू–स्वामियों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप www.ureda.uk.gov.in पर अपलोड किया गया है। इच्छुक विकासकर्ताओं (Developers) एवं भू–स्वामियों (Land owner) से अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रकाशन तिथि से 25 दिवस के भीतर सूचना ई–मेल solarcell.ureda@gmail.com पर अथवा डाक/स्वंय के माध्यम से उरेडा मुख्यालय, ऊर्जा पार्क परिसर पटेलनगर, देहरादून–248001 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य सूचनाओं/डेटा का संग्रह है किसी भी स्थिति में इसे इस नीति के तहत किसी भी योजना के लिये आवेदन के रूप में नहीं माना जायेगा।

मुख्य परियोजना अधिकारी

प्रारूप–1

सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित करने हेतु इच्छुक विकासकर्ताओं (Developers) की सूचना एकत्र किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप

विकासकर्ता का नाम	दूरभाष नं0	प्रस्तावित स्थल का पता	प्रस्तावित सोलर पावर प्लाण्ट की क्षमता(KWp)	प्रस्तावित सोलर पावर प्लाण्ट सम्बधित अन्य विवरण

प्रारूप–2

भू–स्वामियों (Land owner) की सूचना एकत्र किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप, जो कि अपनी भूमि पर सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित करना चाहते हैं।

भू–स्वामी का नाम	दूरभाष नं0	भूमि का पता	भूमि का स्वामित्व		भूमि का आकार (acer/sqmtr)
			स्वंय की भूमि	लीज पर	

नोटः– उक्त प्रारूपों पर सूचना उरेडा द्वारा सोलर पावर प्लाण्ट से विद्युत निकासी नेटवर्क को बेहतर बनाये जाने की योजना एवं इच्छुक विकासकताओं/भू–स्वामियों के डेटा संग्रह के लिये प्राप्त की जा रही है। सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड राज्य सौर नीति–2023, के अनुसार औपचारिक आवेदन की सूचना उरेडा की वेबसाइट अथवा अन्य माध्यम से समय–समय पर अपलोड किये जायेंगे।